

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मिनाय, जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी संजू मीणा) आर.ए.एस

प्रकरण स./प्रार्थना पत्र/एल.आर./63/2022

- विक्रमसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति राजपुत निवासी काचरियां तहसील मिनाय अजमेर प्रार्थी



- रामधन पुत्र हजारी जाति जाट निवासी काचरियां तहसील मिनाय अजमेर
- रामकुंवार पुत्र हरचन्द्र जाट निवासी काचरियां तहसील मिनाय अजमेर
- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मिनाय तहसील मिनाय जिला अजमेर

बनाम

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

अप्रार्थी



- वकील प्रार्थी- देवकान्त व्यास
- वकिल अप्रार्थी-शिवचरण चौधरी
- पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा काचरियां पटवार क्षेत्र कनेईकलां भू0अ0नि0

क्षेत्र कनेईकलां के खाता सं0 234 में दर्ज खसरा नं. 22 रकबा 0.04 है0 और खसरा नं. 23 रकबा 2.67 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 2.71 है0 है, जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता है। हैं। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 2 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 3 सरकार जरिये तहसीलदार मिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में अप्रार्थी सं. 1 लगा0 3 की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त अप्रार्थीगण 1 व 2 तथा पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त किया गया। अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 और पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया है। वकील प्रार्थी, अप्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा काचरियां पटवार क्षेत्र कनेईकलां भू0अ0नि0 क्षेत्र कनेईकलां के खाता सं0 234 में दर्ज खसरा नं. 22 रकबा 0.04 है0 और खसरा नं. 23 रकबा 2.67 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 2.67 है0 प्रार्थीगण की खातेदारी होने से भू-अभिलेख निरीक्षक कनेईकलां को 1500/- (एक हजार पांच सौ रुपये) मौका कमीशनर फीस पर नियुक्त कर भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त पड़ोसी खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है। मौका कमीशनर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामिल तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
मिनाय (अजमेर) सज